IJISEM
INTERNATIONAL JOURNAL OF INNOVATIONS IN SCIENCE ENGINEERING AND MANAGEMENT

International Journal of Innovations In Science Engineering And Management

महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के सामाजिक प्रभाव का समाज शास्त्रीय अध्ययन (मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विशेष संदर्भ में)

अर्जुन सिंह[1], **डॉ. उषा वैद्य**[2]

[1]*मानविकीय एंव उदारकला संकाय, रवीन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय रायसेन (म.प्र.)*
[2]*प्राध्यापक, समाज शास्त्र, मानविकी एंव उदारकला संकाय*

OPEN ACCESS

Volume: 4

Issue: 1

Month: March

Year: 2025

ISSN: 2583-7117

Published: 22.03.2025

Citation:

अर्जुन सिंह, डॉ. उषा वैद्य **"महात्मा गाँधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम** 2005 **के सामाजिक प्रभाव का समाज शास्त्रीय अध्ययन (मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के विशेष संदर्भ में)"** International Journal of Innovations in Science Engineering and Management, vol. 4, no. 1, 2025, pp. 302–310.

DOI:

10.69968/ijisem.2025v4i1302-310

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License

सारांश

इस अध्ययन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 के सामाजिक प्रभाव का सीहोर जिले के विकासखंड सीहोर, इछावर और आष्टा में विश्लेषण किया गया है। 340 उत्तरदाताओं पर आधारित इस शोध में जाति, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, मजदूरी, पारिवारिक संरचना, आवास, कृषि और आर्थिक स्थिति जैसे प्रमुख सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का अध्ययन किया गया। अध्ययन से पता चला कि मजदूरों में शिक्षा का अभाव उन्हें मनरेगा के अंतर्गत मिलने वाले अधिकारों और लाभों की जानकारी से वंचित रखता है। इस कारण वे सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाते, जिससे भ्रष्टाचार और नीति कार्यान्वयन में बाधाएँ उत्पन्न होती हैं। अधिकांश मजदूर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें सीमित रोजगार अवसर, कम मजदूरी और आर्थिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। इस कारण वे रोजगार की तलाश में पलायन करने को मजबूर होते हैं, जिससे उनकी सामाजिक और आर्थिक समस्याएँ और बढ़ जाती हैं।

इसके अतिरिक्त, मजदूरों में मनरेगा की विस्तृत जानकारी का अभाव पाया गया। वे इसे केवल जॉब कार्ड से रोजगार प्राप्त करने की योजना मानते हैं। इसलिए, इस योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक जागरूकता अभियानों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों की आवश्यकता है, ताकि प्रत्येक जॉब कार्डधारक को इसकी संपूर्ण जानकारी मिल सके और वे अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें।

कुंजीशब्द: मनरेगा, सामाजिक प्रभाव, आर्थिक अस्थिरता, शिक्षा का अभाव, जागरूकता अभियान

परिचय

भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहाँ जनसंख्या का बड़ा हिस्सा ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। यहाँ गरीबी, बेरोजगारी और असमानता जैसी समस्याएँ लंबे समय से विद्यमान हैं।

इन चुनौतियों का सामना करने और ग्रामीण श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2005 में महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को लागू किया गया।

अधिनियम की स्थापना एवं ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य

मनरेगा की नींव भारत सरकार की पूर्ववर्ती योजनाओं पर आधारित रही है, जिनमें ग्रामीण रोजगार को बढ़ावा देने की पहल की गई थी। इससे पहले भी कई योजनाएँ चलाई गई थीं, जैसे–

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) - 1980
- जवाहर रोजगार योजना (JRY) - 1989
- सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY) - 2001

इन योजनाओं के अनुभवों के आधार पर, सरकार ने 23 अगस्त 2005 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया, जिसे 2 फरवरी 2006 से 200 जिलों में लागू किया गया। बाद में इसे चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तारित किया गया और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदलकर महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) कर दिया गया।

मनरेगा की मुख्य विशेषताएँ

1. वैधानिक गारंटी - अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को वर्ष में 100 दिन का अकुशल श्रम कार्य प्रदान करने की कानूनी गारंटी देता है।

2. श्रमिकों का अधिकार - यदि सरकार 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध कराने में असमर्थ है, तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है।

3. महिला सशक्तिकरण - इसमें महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित किया गया है।

4. मजदूरी का भुगतान - न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार भुगतान किया जाता है और कार्यस्थल पर पारदर्शिता बनाए रखने हेतु मजदूरी प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) के माध्यम से दी जाती है।

5. सामुदायिक विकास - अधिनियम के अंतर्गत किये जाने वाले कार्यों में तालाब निर्माण, सड़क निर्माण, जल संरक्षण, वृक्षारोपण एवं भूमि सुधार शामिल हैं।

मनरेगा का ग्रामीण भारत पर प्रभाव

इस अधिनियम ने ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन, आजीविका सुधार और सामाजिक सुरक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। यह योजना विशेष रूप से महिलाओं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को सशक्त बनाने में प्रभावी रही है।

इस प्रकार, मनरेगा सिर्फ एक रोजगार योजना ही नहीं बल्कि ग्रामीण भारत में सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने का एक सशक्त माध्यम बन गई है।

साहित्य की समीक्षा

सुरेन्द्र कटारिया (2009), ने अपने शोध अध्ययन "आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान" में यह निष्कर्ष निकाला है कि देश में आर्थिक मंदी को समाप्त करने के लिए नरेगा एक महत्वपूर्ण योजना है। नरेगा के माध्यम से देश के करोड़ों लोगों के हाथों में एक निश्चित न्यूनतम राशि पहुँची है, जिससे इन लोगों के परिवारों की क्रय शक्ति में वृद्धि हुई है तथा गाँवों में उपभोक्ता बाजार का विस्तार हुआ है। नरेगा के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में स्वरोजगार का सृजन हुआ जिससे ग्रामीण क्षेत्रों को आजीविका की बड़ी चिंता से मुक्ति मिली है।

सुभाष सेतिया (2009), "नरेगा ने खोले गांवो में रोजगार के नए द्वार" विषय पर प्रकाशित अपने शोध अध्ययन में निष्कर्ष निकाला कि नरेगा का मुख्य उद्देश्य गांवों में रोजगार उपलब्ध कराना है लेकिन इसका प्रभाव सिर्फ स्वरोजगार के अवसर पैदा करने तक ही सीमित नहीं है। यह योजना वास्तव में ग्रामीण जीवन में क्रांति का अग्रदूत साबित हो रही है और

गरीबी व बेरोजगारी दूर करने के साथ-साथ गांवों में बुनियादी सोच में भी बदलाव ला रही है तथा यह योजना ग्रामीण लोगों में एक नए तरह का विश्वास और आत्मविश्वास पैदा कर रही है और जिन राज्यों में इस योजना को कुशलतापूर्वक और ईमानदारी से लागू किया गया है, वहां गांवों से शहरों की ओर पलायन की प्रवृत्ति पर काफी हद तक रोक लगी है।

नीलम शर्मा (2012), "अपना खेत, अपना काम योजना: बदली आदिवासियों की तकदीर" ने अपने शोध अध्ययन में यह निष्कर्ष निकाला कि मनरेगा योजना के माध्यम से न केवल ग्रामीणों को रोजगार मिला है, बल्कि तरक्की की नई कहानी भी लिखी गई है। मनरेगा की वजह से ही राजस्थान के आदिवासी इलाकों में बदलाव आया है और इस योजना की वजह से जमीन की उर्वरता बढ़ी है। किसान भी अपने खेतों को बेहतर बनाकर कृषि में नवाचार अपना रहे हैं। इसका श्रेय मनरेगा को जाता है।

विनीता कटियार एवं के. एस वर्मा (2009), "नरेगा परियोजनाओ का पर्यावरण पर प्रभाव" का अध्ययन किया और निष्कर्ष निकाला कि नरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर पैदा करने और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना पर्यावरण संतुलन में सुधार लाने पर केंद्रित है और नरेगा का उद्देश्य पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना ग्रामीण विकास को प्राप्त करना है ताकि स्वच्छ पर्यावरण प्राप्त किया जा सके और चूंकि नरेगा वृक्षारोपण और वनीकरण से जुड़ा हुआ है, इसलिए यह पर्यावरणीय क्षरण को कम करके पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध प्रबंध मे विवरणात्मक शोध की संरचना का प्रयोग किया गया है। इस संरचना के अंतर्गत तथ्यात्मक जानकारी एकत्रित की जाती है। इसमें सर्वप्रथम चरों की मापन विधि का निरूपण किया जाता है। उसके पश्चात् समग्र व निदर्श का निश्चयन तथा निदर्श के आकार एवं चयन विधि निर्धारित की जाती है। निदर्श के चयन के बाद सामग्री संकलन की तकनीक का चयन तथा सामग्री संकलन के उपकरणों का निर्माण कर आंकड़ों का संग्रहण किया जाता है। आंकड़ों के संग्रहण के बाद उसकी व्याख्या तथा विश्लेषण का काम किया जाता है।

प्राथमिक सामग्री प्राप्त करने के लिए अनुसंधान की आवश्यकतानुसार किसी एक संरचना का प्रयोग करते हुये एकाधिक अध्ययन पद्धति एवं तकनीक प्रयुक्त होती है यथा-अवलोकन, साक्षात्कार, सामूहिक साक्षात्कार, अनुसूची, प्रश्नावली, व्यक्तिगत अध्ययन इत्यादि। इन संरचनाओं एवं विधियों को ध्यान में रखते हुए इस अध्याय में अध्ययन के लिए सही संरचना एवं विधि का चयन करने का प्रयास किया गया है।

अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध प्रबन्ध के उद्देश्य निम्न है -

1. सीहोर जिले में मनरेगा की गतिविधियों की जानकारी प्राप्त करना।
2. सीहोर जिले में मनरेगा की गतिविधियों द्वारा ग्राम विकास एवं स्वरोजगार की स्थिति की जानकारी प्राप्त करना।
3. सीहोर जिले में मनरेगा में लाभान्वित की जानकारी का अध्ययन करना।
4. सीहोर जिले में मनरेगा के लाभान्वित परिवारों पर सामाजिक प्रभाव का अध्ययन।
5. सीहोर जिले मे मनरेगा के लाभान्वित मे सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन।
6. मजदूरों को उनके अधिकार की पूर्ण जानकारी देना।
7. हितग्राहियों को योजना का लाभ दिलाना।
8. कार्यरत मजदूरों की सामाजिक व आर्थिक स्थितियों का आकलन करना।
9. मजदूरों को होने वाली कठिनाइयों व समस्याओं का अध्ययन करना।

उपकल्पना

शोध करने से पहले दो बातें महत्वपूर्ण होती है। पहली उस विषय पर शोध करने का उद्देश्य तथा उसका परिणाम। मनरेगा अधिनियम 2005 के सामाजिक प्रभाव का समाजशास्त्र अध्ययन करना एक सार्थक एवं उपयोगी कदम होगा। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन निम्न उपकल्पना को चिंतन करते हुए पूर्ण किया गया है-

"मनरेगा अधिनियम 2005 के सामाजिक प्रभाव का समाजशास्त्र अध्ययन करना एक सार्थक एवं उपयोगी कदम है"।

परिकल्पना और आर्थिक संसाधनों के माध्यम से सामाजिक प्रभाव के समाजशास्त्रीय अध्ययन के विषय पर उपलब्ध सामग्री की समीक्षा से निम्नलिखित प्रश्न उठते हैं, जिनके उत्तर प्रस्तावित शोध में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है।

H_1. सीहोर जिले में मनरेगा की गतिविधियाँ सुचारु रूप से क्रियान्वित हैं।

H_2. सीहोर जिले में मनरेगा मे सभी जातियों को समान अवसर उपलब्ध हैं।

H_3. सीहोर जिले में मनरेगा मे कार्यरत श्रमिक गतिविधियों के प्रति जागरूक हैं।

H_4. सीहोर जिले में मनरेगा में पारिवारिक, आर्थिक स्थिति पर सकारात्मक प्रभाव होता है।

H_5. सीहोर जिले में मनरेगा के द्वारा प्राप्त राशि के प्रति श्रमिक असंतुष्ट होंगे।

H_6. सीहोर जिले में मनरेगा द्वारा कपिलधारा कूप निर्माण, मेड़बंदी एवं वृक्षारोपण आदि निर्माण कार्यों के कारण सामाजिक विकास में वृद्धि हुई है।

H_7. सीहोर जिले में मनरेगा के लाभार्थी भूमि हीन या असिंचित भूमि कृषक होंगे।

H_8. H8. सीहोर जिले में मनरेगा लाभार्थियों की उपस्थिति संबंधी प्रक्रिया संतोषजनक होगी।

निदर्शन पद्धति

शोध विषय चयन करने के पश्चात, शोधकर्ता समस्या से संबंधित परिकल्पना तैयार करता है तथा तथ्यात्मक सामग्री एकत्रित करता है। अध्ययन की इकाई तथा नमूना आकार तय करने के लिए दो विकल्प हैं- समग्र की सभी इकाइयों का अध्ययन या समग्र के प्रतिनिधि भाग का अध्ययन, जिसे प्रतिदर्श कहते हैं। समग्र के एक भाग का अवलोकन करके समग्र के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है।

इस शोध में उद्देश्यपूर्ण निदर्शन पद्धति को अपनाया गया है। एडोल्ड जेंसन के अनुसार, यह पद्धति राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम से संबंधित ग्रामीण मजदूरों की समस्याओं के अध्ययन में उपयोगी है। इस उद्देश्य के लिए देव निदर्शन पद्धति को अपनाया गया, जिसमें लॉटरी पद्धति से सीहोर जिले के सीहोर, इछावर और आष्टा विकासखंड के प्रत्येक विकासखंड की चार ग्राम पंचायतों से कुल 360 लाभार्थियों का चयन किया गया।

अध्ययन क्षेत्र

अध्ययन क्षेत्र हेतु सीहोर जिले के सीहोर विकासखण्ड, इछावर विकासखण्ड एवं आष्टा विकासखण्ड का चयन किया गया, जिसमें समस्त विकासखण्डों से 120-120 हितग्राहियों का अध्ययन हेतु चयन किया गया।

ग्राम पंचायत, विकासखंड, वितरित जॉब कार्डों की संख्या तथा उत्तरदाताओं की संख्या का विवरण

क्र.	ग्राम पंचायत का नाम	विकासखंड का नाम	वितरित जॉब कार्डों की संख्या	चयनित उत्तरदाताओं की संख्या
1	पिपलिया मीरा	सीहोर	142	30
2	बिलकिसगंज	सीहोर	350	30
3	रायपुर नयाखेड़ा	सीहोर	94	30
4	पट पिपलिया	सीहोर	56	30

5	बृजेश नगर	इछावर	219	30
6	बारखेड़ा कला	इछावर	315	30
7	गाजीखेड़ी	इछावर	310	30
8	मोहनपुर खेड़ी	इछावर	223	30
9	बायचा बरामद	आष्टा	220	30
10	रामपुर कला	आष्टा	218	30
11	सेमखेड़ी	आष्टा	218	30
12	झिरकटी मेवाती	आष्टा	360	30
योग	-	-	2748	360

डेटा विश्लेषण और व्याख्या

उत्तरदाताओं की जाति का विश्लेषण

कमांक	जति	संख्या	प्रतिशत
1	अनुसूचित जाति	88	25.89
2	अनुसूचित जनजाति	72	21.17
3	पिछड़ा वर्ग	144	42.35
4	सामान्य	36	10.59
	योग	340	100

परिचायत्मक विवरण

उपर्युक्त तालिका के संदर्भ में जानकारी मिलती है कि 340 उत्तरदाताओं में से 25.89 प्रतिशत उत्तरदाता अनुसूचित जाति से हैं। 21.17 प्रतिशत उत्तरदाता अनसूचित जनजाति से हैं। 42.35 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। 10.59 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य जाति से हैं। जो अध्ययन में हैं। उपरोक्त सारणी में कुल 340 हितग्राहियों में से अधिकतम 42.35 प्रतिशत उत्तरदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं। अर्थात् अध्ययन क्षेत्र में अधिकांश परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं।

उत्तरदाताओं की आयु का विश्लेषण

कमांक	आयु वर्ष में	संख्या	प्रतिशत
1	18–24	31	09.11
2	24–30	98	28.83
3	30–36	89	26.18
4	36–42	82	24.11
5	42 से अधिक	40	11.77
	योग	340	100

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि सर्वेक्षण में शामिल उत्तरदाताओं की आयु विभिन्न श्रेणियों में विभाजित है। अधिकांश उत्तरदाता 24-30 वर्ष (28.83%) आयु वर्ग में आते हैं, जो दर्शाता है कि इस आयु वर्ग के लोग महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के अंतर्गत रोजगार पाने में अधिक सक्रिय हैं। इसके बाद 30-36 वर्ष (26.18%) और 36-42 वर्ष (24.11%) की श्रेणियों के उत्तरदाताओं का स्थान है, जो दर्शाता है कि मध्यम आयु वर्ग भी इस योजना का लाभ उठा रहा है। 18-24 वर्ष (9.11%) और 42 वर्ष से अधिक (11.77%) आयु वर्ग के उत्तरदाताओं की संख्या अपेक्षाकृत कम है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि युवा और वरिष्ठ नागरिक इस योजना में सीमित रूप से शामिल हैं।

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति का विवरण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	प्राथमिक	105	30.88
2	माध्यमिक	55	16.17
3	हाईस्कूल	34	10
4	निरक्षर	146	42.95
योग		340	100

तालिका से यह स्पष्ट होता है कि उत्तरदाताओं में निरक्षरता की दर सबसे अधिक (42.95%) है, जो यह दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का अभाव एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। 30.88% उत्तरदाताओं ने केवल प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की है, जबकि माध्यमिक स्तर तक शिक्षा प्राप्त करने वालों की संख्या 16.17% है। केवल 10% ने हाई स्कूल तक पढ़ाई की है, जो दर्शाता है कि उच्च शिक्षा के लिए जाने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। इन आंकड़ों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि ग्रामीण श्रमिक वर्ग में शिक्षा का स्तर अपेक्षाकृत कम है, जो उनके लिए कुशल रोजगार के अवसरों को सीमित कर सकता है।

उत्तरदाताओं में महिला व पुरुषों की संख्या का विवरण

क्रमांक	**विवरण**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1	महिला	182	53.52
2	पुरुष	158	46.48
योग		**340**	**100**

तालिका के अनुसार, महिला उत्तरदाताओं की संख्या पुरुषों की तुलना में अधिक है। कुल उत्तरदाताओं में से 53.52% महिलाएँ हैं, जबकि पुरुषों की संख्या 46.48% है। इससे पता चलता है कि अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी अधिक रही, जो महिला सशक्तिकरण और उनकी सामाजिक सक्रियता को दर्शाता है। यह भी संभव है कि सर्वेक्षण का क्षेत्र ऐसा हो जहाँ महिलाएँ अधिक मौजूद हों या वे अपने परिवार की आर्थिक गतिविधियों में अधिक शामिल हों। कुल मिलाकर, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि इस अध्ययन में महिलाओं की भागीदारी महत्वपूर्ण रही है।

उत्तरदाताओं के व्यवसाय का विवरण

क्रमांक	**विवरण**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1	कृषि मज़दूरी	**106**	**31.17**
2	मज़दूरी	167	49.12
3	व्यवसाय	42	12.35
4	अन्य	25	07.36
योग		**340**	**100**

तालिका के अनुसार, उत्तरदाताओं में सर्वाधिक 49.12% लोग सामान्य मज़दूरी कार्य में संलग्न हैं, जबकि 31.17% उत्तरदाता कृषि मज़दूरी से जुड़े हुए हैं। इसका अर्थ है कि अधिकांश लोग श्रमिक वर्ग से संबंधित हैं और उनकी आय का स्रोत असंगठित क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। वहीं, 12.35% लोग स्वरोजगार या छोटे व्यवसाय से जुड़े हैं, जो यह दर्शाता है कि कुछ लोग उद्यमिता की ओर भी अग्रसर हैं। दूसरी श्रेणी में 7.36% उत्तरदाता शामिल हैं, जो अलग-अलग तरह के रोज़गार में लगे हो सकते हैं। ये आँकड़े क्षेत्र में आजीविका के साधनों के वितरण को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

उत्तरदाताओं की वैवाहिक स्थिति का विवरण

क्रमांक	**विवरण**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1	विवाहित	252	74.11
2	अविवाहित	42	12.36
3	विधवा	34	10

4	विधुर	12	3.53
योग		**340**	**100**

तालिका के अनुसार, सर्वाधिक 74.11% उत्तरदाता विवाहित हैं, जो यह दर्शाता है कि अधिकांश उत्तरदाता पारिवारिक जिम्मेदारियों से जुड़े हुए हैं। अविवाहित उत्तरदाताओं की संख्या 12.36% है, जो कि अपेक्षाकृत कम है। वहीं, 10% उत्तरदाता विधवा हैं और 3.53% उत्तरदाता विधुर श्रेणी में आते हैं, जो यह इंगित करता है कि कुछ उत्तरदाताओं ने अपने जीवनसाथी को खो दिया है और संभवतः विभिन्न सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। ये आंकड़े क्षेत्र की सामाजिक संरचना और पारिवारिक परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं।

उत्तरदाताओं के मकान के स्वरूप का विश्लेषण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	कच्चा	157	46.18
2	अर्ध पक्का	82	24.12
3	पक्का	41	12.06
4	झोपड़ी	60	17.64
योग		**340**	**100**

तालिका से स्पष्ट होता है कि 46.18% उत्तरदाता कच्चे मकानों में रहते हैं, जो दर्शाता है कि क्षेत्र में अस्थायी और कमजोर आवास संरचनाएं अधिक हैं। 24.12% उत्तरदाताओं के घर अर्ध पक्के हैं, जो बेहतर आवास स्थितियों की ओर संकेत करता है। केवल 12.06% उत्तरदाताओं के पास पक्के मकान हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मजबूत आवासीय सुविधाएं बहुत सीमित हैं। वहीं, 17.64% उत्तरदाता झोपड़ियों में निवास करते हैं, जो यह दर्शाता है कि एक महत्वपूर्ण हिस्सा अत्यंत अस्थायी और संभवतः आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में है। यह आंकड़े क्षेत्र की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को उजागर करते हैं।

उत्तरदाताओं की कृषि भूमि की स्थिति का विश्लेषण

क्रमांक	कृषि भूमि	संख्या	प्रतिशत
1	सिंचित	58	17.06
2	असिंचित	121	35.58
3	भूमिहीन	161	47.36
योग		**340**	**100**

इस तालिका के अनुसार, 47.36% उत्तरदाता भूमिहीन हैं, जो दर्शाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि में लगे लोगों का एक बड़ा हिस्सा भूमि के स्वामित्व के बिना खेती या मजदूरी पर निर्भर है। 35.58% उत्तरदाताओं के पास असिंचित भूमि है, जो दर्शाता है कि उनकी कृषि वर्षा पर निर्भर है और उनके पास सिंचाई की सीमित सुविधाएँ हैं। केवल 17.06% उत्तरदाताओं के पास सिंचित भूमि है, जो दर्शाता है कि बहुत कम लोग उन्नत कृषि सुविधाओं का लाभ उठा पाते हैं। ये आँकड़े दर्शाते हैं कि अधिकांश उत्तरदाता या तो भूमिहीन हैं या उनके पास असिंचित भूमि है, जिससे कृषि उत्पादन में अस्थिरता और आर्थिक असुरक्षा की संभावना बढ़ जाती है।

उत्तरदाताओं के राशन कार्ड के स्वरूप का विश्लेषण

क्रमांक	विवरण	संख्या	प्रतिशत
1	एपीएल **(APL)**	**176**	**51.76**
2	बीपीएल **(BPL)**	**129**	**37.94**
3	अंत्योदय	**35**	**10.30**
योग		340	100

इस तालिका के अनुसार, अधिकांश उत्तरदाताओं **(51.76%)** के पास **एपीएल (Above Poverty Line - APL)** राशन कार्ड है, जो यह दर्शाता है कि वे गरीबी रेखा से ऊपर की श्रेणी में आते हैं। वहीं, **37.94%** उत्तरदाताओं के पास **बीपीएल (Below Poverty Line - BPL)** राशन कार्ड है, जो यह संकेत देता है कि वे गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे हैं और सरकार की विशेष योजनाओं से लाभान्वित हो सकते हैं। इसके अलावा, **10.30%** उत्तरदाता **अंत्योदय** श्रेणी में आते हैं, जिसका अर्थ है कि वे अत्यधिक गरीब एवं जरूरतमंद लोगों में शामिल हैं। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि एक महत्वपूर्ण प्रतिशत आबादी आर्थिक रूप से कमजोर है और सरकारी सहायता पर निर्भर है।

उत्तरदाताओं के आवागमन के साधनों का विश्लेषण

क्रमांक	साधन	संख्या	प्रतिशत
1	साइकिल	91	26.77
2	मोटर साइकिल	49	14.41
3	बैलगाड़ी	34	10

4	अन्य	166	48.82
योग		**340**	**100**

इस तालिका के अनुसार, **26.77%** उत्तरदाता आवागमन के लिए **साइकिल** का उपयोग करते हैं, जो दर्शाता है कि यह परिवहन का एक किफायती और लोकप्रिय साधन है। वहीं, **14.41%** उत्तरदाता **मोटरसाइकिल** का उपयोग करते हैं, जो यात्रा का अपेक्षाकृत तेज़ और सुविधाजनक साधन है। **10%** उत्तरदाता अभी भी **बैलगाड़ी** का उपयोग करते हैं, जो ग्रामीण परिवहन के पारंपरिक साधनों की उपस्थिति को दर्शाता है। सबसे ज़्यादा **48.82%** उत्तरदाताओं ने अपने परिवहन के साधन को **अन्य** श्रेणी में वर्गीकृत किया है, जिसमें सार्वजनिक परिवहन, पैदल या अन्य निजी वाहन शामिल हो सकते हैं।

उत्तरदाताओं के परिवार के स्वरूप का विश्लेषण

क्रमांक	**स्वरूप**	**संख्या**	**प्रतिशत**
1	एकल	276	81.17
2	संयुक्त	64	18.83
योग		**340**	**100**

इस तालिका से स्पष्ट होता है कि **81.17%** उत्तरदाता **एकल परिवारों** में निवास करते हैं, जो वर्तमान समाज में छोटे परिवारों की प्रवृत्ति को दर्शाता है। वहीं, **18.83%** उत्तरदाता **संयुक्त परिवारों** में रहते हैं, जो पारंपरिक पारिवारिक संरचना की उपस्थिति को दर्शाता है। यह विश्लेषण यह भी दर्शाता है कि शहरीकरण, रोजगार के अवसरों और जीवनशैली में बदलाव के कारण एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हो रही है।

निष्कर्ष

इस अध्ययन में सीहोर जिले के विकासखंडों– सीहोर, इछावर और आष्टा में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) 2005 के सामाजिक प्रभाव का विश्लेषण किया गया। कुल 340 उत्तरदाताओं के आधार पर यह अध्ययन विभिन्न मापदंडों जैसे जाति, आयु, शिक्षा, व्यवसाय, मजदूरी, पारिवारिक संरचना, आवास, कृषि, सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर केंद्रित रहा।

अध्ययन में पाया गया कि मजदूरों में शिक्षा का अभाव है, जिसके कारण उन्हें मनरेगा के तहत मिलने वाले अधिकारों और लाभों की जानकारी नहीं है। शिक्षा के अभाव में वे सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाते, जिससे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अधिकांश मजदूर गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, उनकी आय सीमित है और पूरे साल रोजगार उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण वे पलायन करने को मजबूर हैं।

इसके अलावा मनरेगा के तहत मिलने वाली सुविधाओं और कानूनी प्रावधानों की जानकारी भी मजदूरों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई है। अधिकांश मजदूर इसे जॉब कार्ड के जरिए मिलने वाले रोजगार तक ही सीमित मानते हैं। इसलिए इस अधिनियम का व्यापक प्रचार-प्रसार और मजदूरों में जागरूकता की जरूरत है, ताकि वे अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें और उनके जीवन स्तर में सुधार आ सके।

संदर्भ

[1] सुरेन्द्र कटारिया, “आर्थिक मंदी से जूझने में नरेगा का योगदान” कुरुक्षेत्र दिसंबर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 9-12

[2] सुभाष सेतिया, “नरेगा ने खोले गांवो में रोजगार के नए द्वार” कुरुक्षेत्र दिसंबर 2009, वर्ष 56 अंक 02, पृ.क्र. 17-20

[3] नीलम शर्मा, “अपना खेत, अपना काम योजना: बदली आदिवासियो कि तकदीर कुरुक्षेत्र अक्टूबर 2012 वर्ष 58 अंक 12 पृ.क्र. 43-47

[4] विनीता कटियार एवं के.एश वर्मा, “नरेगा परियोजनाओ का पर्यावरण पर प्रभाव” कुरुक्षेत्र दिसंबर 2009 वर्ष 56 अंक 02 पृ.क्र. 26-28